भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2492

जिसका उत्तर 21 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

30 अग्रहायण, 1944 (शक)

पीएमजी-दिशा में ग्रामीण परिवारों को शामिल करना

2492. श्री रामशिरोमणि वर्मा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी-दिशा) के अंतर्गत शामिल किए गए ग्रामीण परिवारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों आदि सहित समाज के पिछड़े वर्गों को इसके अंतर्गत नामित और प्रमाणित किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने भी पीएमजी-दिशा और अन्य डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के दायरे को बढ़ाने और गुणवत्ता प्रभाव मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : गत 7 वर्षों में भारत अपने नागरिकों के हित तथा जीवन में परिवर्तन लाने हेतु प्रौद्योगिकियों के उपयोग में एक प्रमुख राष्ट्र बन गया है। इसे दृष्टिगत रखते हुए, सरकार देशभर में नागरिकों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता प्रदान किए जाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अनुरूप ही, देशभर में, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) को 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रत्येक परिवार प्रति व्यक्ति) को आच्छादित करने के लक्ष्य के साथ ही ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का प्रारंभ करने हेतु फरवरी, 2017 में स्वीकृत किया था।

अब तक, कुल 6.62 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है तथा 5.68 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 4.22 करोड़ अभ्यर्थी देश भर में पीएमजीदिशा योजना के अंतर्गत प्रमाणित किए गए हैं। इस योजना की राज्य-वार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) : जी, हां। यह योजना समाज के वंचित वर्गों अर्थात अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाओं तथा दिव्यांगजनों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने हेतु विशेषतः प्रासंगिक है। इस संबंध में विवरण इस प्रकार दिया गया है:-

वर्ग	पंजीकृत	प्रशिक्षित	प्रमाणित
अनुसूचित जाति (एससी)	1,24,73,243	1,08,27,534	82,14,561
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	58,94,065	49,92,682	35,85,609
महिलाएं	3,55,82,122	3,11,40,687	2,38,79,872
दिव्यांगजन	11,70,309	10,10,042	7,22,675

(ग) और (घ) : जी, हां। सिफारिशों के अनुरूप ही, पीएमजीदिशा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण को बढ़ाया गया था तथा इस तिथि तक, पीएमजीदिशा योजना के अंतर्गत कुल 6.62 करोड़ अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है, इसमें से 5.68 करोड़ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 4.22 करोड़ अभ्यर्थियों को विधिवत प्रमाणित किया गया है।

अब तक, इस योजना के तीन प्रभाव आंकलन अध्ययन पूर्ण किए गए हैं। वर्ष 2017-18 में, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) द्वारा प्रथम प्रभाव आंकलन अध्ययन पूर्ण किया गया था। वर्ष 2019 में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-दिल्ली द्वारा द्वितीय प्रभाव आंकलन अध्ययन आयोजित किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 में, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा योजना का अंतिम प्रभाव आंकलन अध्ययन पूर्ण किया गया था। इस अध्ययन का उद्देश्य 12वीं योजना अवधि के अतिरिक्त भी योजना को जारी रखे जाने संबंधी बड़े पहलू के साथ-साथ योजना की भू-स्तरीय स्थिति का विश्लेषण करना था। आईआईपीए ने रिपोर्ट में योजना के व्यापक और प्रणाली संबंधी मूल्यांकन के पश्चात् निष्कर्ष निकाला कि, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के रूप में पीएमजीदिशा न केवल देश में डिजिटल अंतर को कम करने में अनिवार्य भूमिका निभाता है, अपितु, इसे ज्ञान अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन भी ला रहा है। आईआईपीए ने पीएमजीदिशा आईएसएचए योजना को जारी रखे जाने की सिफारिश की थी।

******

अनुबंध

पीएमजीदिशा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति				
क्र.सं.	**राज्य**	**पंजीकृत**	**प्रशिक्षित**	**प्रमाणित**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,872	1,769	1,002
2	आंध्र प्रदेश	18,49,896	14,80,939	10,44,064
3	अरुणाचल प्रदेश	7,357	5,031	3,317
4	असम	26,69,088	23,20,423	18,46,571
5	बिहार	72,10,212	63,78,337	46,57,885
6	छत्तीसगढ़	25,20,462	21,70,624	16,37,669
7	दादरा और नगर हवेली	5,851	4,078	2,890
8	दमन और दीव	4,000	3,224	2,439
9	दिल्ली	7,028	5,648	3,988
10	गोवा	55,837	50,721	37,377
11	गुजरात	27,62,587	24,16,473	17,74,737
12	हरियाणा	18,70,129	15,87,779	11,99,270
13	हिमाचल प्रदेश	4,82,964	3,63,524	2,65,696
14	जम्मू और कश्मीर	7,01,385	5,47,550	3,95,751
15	झारखंड	24,67,451	20,02,277	14,65,641
16	कर्नाटक	12,70,400	9,51,706	6,16,924
17	केरल	56,448	27,153	21,418
18	लक्षद्वीप	136	35	-
19	मध्य प्रदेश	55,30,748	48,98,827	36,21,753
20	महाराष्ट्र	55,86,975	47,82,195	34,42,143
21	मणिपुर	19,415	9,003	5,660

22	मेघालय	1,45,789	1,00,733	67,557
23	मिजोरम	26,832	20,161	12,326
24	नागालैंड	6,624	4,614	3,187
25	ओडिशा	32,22,299	26,85,398	20,27,683
26	पुदुचेरी	17,732	11,814	7,867
27	पंजाब	16,84,286	14,49,583	11,11,147
28	राजस्थान	38,87,394	33,49,142	24,44,090
29	सिक्किम	24,589	21,256	15,629
30	तमिलनाडु	14,16,049	11,28,107	8,22,761
31	तेलंगाना	10,87,847	8,60,890	5,84,986
32	त्रिपुरा	3,25,000	2,64,762	2,15,688
33	उत्तराखंड	7,56,000	6,40,848	4,75,243
34	उत्तर प्रदेश	1,60,48,688	1,42,53,557	1,07,80,708
35	पश्चिम बंगाल	24,67,194	20,35,832	15,83,015
36	लद्दाख	24,669	21,888	17,316
	कुल	**6,62,23,233**	**5,68,55,901**	**4,22,15,398**

*****